न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 97 / 2017

1 मोहर सिंह पुत्र ठण्डूराम जाति अहीर, निवासी नांगलिया दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामसिंह पुत्र सुरजभान
2 रामस्वरूप पुत्र सुरजभान जाति अहीर निवासीगण नांगलिया दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 देशराम पुत्र सुरजाराम
4 यादराम पुत्र सुरजाराम
5 कमला पुत्री सुरजाराम
6 सजना पुत्री सुरजाराम
7 छिनकोरी देवी पत्नी ताराचन्द
8 हरपाल पुत्र ताराचन्द
9 रामकिशन पुत्र ताराचन्द
10 सुमित्रा पुत्री ताराचन्द
11 संतोष पुत्री ताराचन्द
12 बाला पुत्री ताराचन्द
13 कृष्णा पुत्री ताराचन्द
14 सुमन पुत्री ताराचन्द
15 मनी पत्नी माडू
16 नेतराम पुत्र माडू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राज.)

17 विक्रम पुत्र माडू
समस्त जातिगण जाटान, निवासीगण नांगलिया दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनिमय विरूद्ध निर्णय डिक्री
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दिनांक 07.12.2010
बमुकदमा दावा नम्बर 51/2010 उनवानी
रामसिंह आदि बनाम देशराम आदि।

उपस्थिति :

1. श्री दीपक चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2010 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक दावा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 17 के विरूद्व एक दावा उनवानी रामसिंह आदि बनाम देशराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में पेश किया जिसमें सिद्धी चाही कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को नये खसरा नम्बर 3154/2232, 3155/2232 व 2232 में से 0.0375 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगलिया दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। उक्त दावा के निर्णय व डिक्री में विचारण न्यायालय में निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2010 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को भूमि खसरा नम्बर 2233 व 2232 रकबा क्रमशः 0.28, 0.27 हैक्टेयर में से 0.0375 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर दिये जबकि भूमि खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि का अपीलान्ट अकेला खातेदार काश्तकार है जिसे विचारण न्यायालय में पक्षकार भी नहीं बनाया गया तथा खसरा नम्बर 2233 दावा में भी विवादित नहीं थी। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपने उपरोक्त निर्णय डिक्री से अपीलान्ट की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को घोषित कर दिया जिससे अपीलान्ट की खातेदारी प्रभावित हुई है जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है। अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने के कारण अपीलान्ट को जैर अपील निर्णय डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है लेकिन फिर भी अपीलान्ट जैर अपील निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की इजाजत के लिए अपील के साथ अलग से अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जैर अपील निर्णय व डिक्री में अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगलिया दूधवा, तहसील खेतड़ी में से 0.02 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 वादीगण को घोषित किया है जबकि अपीलान्ट को विचारण न्यायालय में दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपने दावा में भूमि खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगलिया दूधवा में विवादित भी नहीं माना तथा उक्त खसरा नम्बर के किसी भाग में अपनी खातेदारी काश्तकार की घोषणा अपने दावा की सिद्धी में भी सिद्धी नहीं चाही थी। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 वादीगण को अपीलान्ट की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2233 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि में से 0.02 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। दावा की प्रतिवादिया नम्बर 3 चान्दकोर का देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान दावा में प्रतिवादीगण थे और अपील में रेस्पोडेन्ट है अन्य वारिसान नहीं है। इसिलए उनको पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलान्ट को जैर निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 02.07.2017 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट को यह कहने पर हुआ कि हमारी 0.02 हैक्टेयर भूमि आपके खेत में है। आपकी खातेदारी में 0.26 हैक्टेयर भूमि ही है। 0.28 हैक्टेयर भूमि नहीं है। हमने इस बाबत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी से निर्णय करवा लिया है। तब अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 से पूछा तो उन्होंने जैर अपील निर्णय व डिक्री की नकल दिखायी तब अपीलान्ट ने जैर अपील निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में दिनांक 05.07.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 19. 07.2017 को अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त हुई। तब निर्णय व डिक्री का पूर्ण ज्ञान हुआ है जिसके कारण जैर अपील निर्णय का सम्पूर्ण ज्ञान सर्व प्रथम 19.07.2017 को हुआ जिसके कारण शीघ्र की अन्दर मियाद पेश है। लेकिन अगर किसी कारण से अपील को अन्दर मियाद नहीं माना जाता है तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

अपीलान्ट को भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का फायदा दिया जाकर अपील को अन्दर मियाद माना जावे। जिसके लिए अपीलान्ट अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 व धारा 96 का आवेदन पत्र अलग से पेश कर रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2065–68 (प्रदर्श–1 व 2), संवत् 2031–34 (प्रदर्श–3), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4) नकल नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–5) फोटो प्रति बिचौती पत्र (प्रदर्श–6ए) पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र चेतराम व मोहर सिंह (पी.डब्ल्यू–1) रामसिंह (पी.डब्ल्यू–2) का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित नहीं है। वादी के पक्ष में जिस भूमि की डिक्री जारी की गई है वह भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से खसरा नम्बर 2233 के संदर्भ में वादीगण को खातेदारी प्रदान की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में भूमि खसरा नम्बर 2233 अपीलांट मोहर सिंह पुत्र ठण्डुराम की खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में खसरा नम्बर 2233 की जमाबंदी संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना, विवादित भूमि की जमाबंदी का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

धारा 96 स्वीकार योग्य पाये जाते है। गुणावगुण पर प्रकरण रिमांड योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर